

## डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन / 426-/2020 दिनांक: 03 -09 - 2020

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक कष्ण मोहन मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल पाली डूंगरा, सौंख रोड़ मथुरा।

महोदय.

अनुसचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट—14, सेक्टर—8, द्वारका, फेस—1, नई दिल्ली के पत्र संख्याः No.MCI-34(41)(R-77)/2019- Med./113930 दिनांक 16 मई, 2019 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम०बी०बी०एम० (150सीट) पार्ट्यक्रम/विषयों में सत्र 2016—2017 हेतु पत्र संख्या—सम्बद्धन/4124/17 दिनांक 05.10.2017 के द्वारा एक वर्ष का सम्बद्धता विस्तारण प्रदत्त किया गया था। तथा सत्र 2019-20 (दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक) एक वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती हैं। ् उक्त संस्थान को सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित किमयों के साथ सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की

गयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रबंन्ध समिति अनुमोदित नहीं हैं। 2. प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं। 3. एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि प्रबन्धतंत्र अनुसचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2019 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अविध में पूर्ण कर लेगा।

(1) This permission of the Central Government is accorded initially for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to the verification of the achievement of annual targets as indicated in the scheme submitted by the institute and regulations made in this regard. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of medical college and expansion of hospital facilities are completed.

(2) The applicant should provide all infrastructural facilities in terms of teaching and non-teaching staff] building, equipment and hospital facilities as per Medical Council of India norms as notified from time

(3) The applicant should provide requisite Bank-Guarantee and other document as per IMC Act, 1956 & Regulations framed thereunder directly to the MCI.

(4) Admissions made in violation of the above conditions will be treated as irregular and shall be laible for action under IMC Act, 1956 & Regulations made there under.

यदि प्रबन्धतंत्र उपरोक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयार्न्तगत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- अनुसचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के आंधेक्रमण में शासी बोर्ड, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
- 4- निजी सचिव कुलपति ।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
- 6- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।
- 7- बेवसाइट प्रभारी।

कुलसचिव